मिट्टी का तेल

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल का आवंटन पूर्ववृत्त के आधार अर्थात्, पिछली आपूर्तियों के आधार पर, किया जाता है। समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों से अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। तथापि, उत्पाद की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और इसमें अंतर्ग्रस्त भारी सब्सिडि जैसी बाधाओं के कारण राज्यों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है। फिर भी, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान पिछले वर्षों की अपेक्षा सम्पूर्ण देश के लिए समग्र रूप में मिट्टी के तेल के आवंटन में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई थी जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिनमें प्रति व्यक्ति उपभोग की क्षमता कम थी उनको अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई थी और इसके विपरीत भी आवंटन किया गया था।

पिछले चार महीनों के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आपूर्ति किए गए मिट्टी के तेल के आंकड़े अनुपत्र में दिए गए हैं। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 12]**

दिल्ली में उपभोक्ता न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

190. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में स्थापित विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों का अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन न्यायालयों के कथित प्रभावहीन कार्यकरण के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) दिल्ली में उपभोक्ता न्यायालयों की शक्तियां तथा न्याय अधिकार क्षेत्र, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के संगत उपबंधों के तहत शासित होते हैं, जिनमें उन शिकायतों के बारे में निर्णय करने की शक्ति शामिल है, जहां वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य तथा दावाकृत मुआवजा, यदि कोई हो तो उसकी रकम पांच लाख रुपए से अधिक न हो। जिला मंच I के क्षेत्राधिकार में उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, केन्द्रीय तथा उत्तर-पश्चिम पुलिस जिलों में पड़ने वाले पुलिस स्टेशनों से संबंधित मामले आते हैं तथा जिला मंच II के क्षेत्राधिकार में पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण तथा नई दिल्ली पुलिस जिलों में पड़ने वाले पुलिस स्टेशनों से संबंधित मामले आते हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में जिला मंच संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही उपभोक्ता शिकायतों को निपटाने की दृष्टि से दिल्ली सरकार ने दिल्ली में दो और जिला मंच स्थापित करने का निर्णय किया है।

आयातित सामान का मूल्य

191. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक सरकार ने कितने मूल्य का सामान विदेशों से आयात किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष आयात किए गए सामान का मूल्य पिछले वर्ष, अर्थात 1994-95 में आयातित सामान से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो यह आयात कितना ज्यादा है और इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) डी जी सी आई एस के अनुमानों के अनुसार अप्रैल-मई, 96 के दौरान कुल आयात (चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध ताजा आंकड़े) 6.3 बिलियन यू एस डालर के हुए। 1995-96 के दौरान कुल आयात 36.4 बिलियन यू एस डालर मूल्य के हुए जो 1994-95 में हुए कुल आयातों से 26.9% अधिक हैं।

(ग) आयातों में वृद्धि का प्रमुख कारण आवश्यक वस्तुओं जैसे-पेट्रोलियम और उर्वरक, द्रव्यमान उपभोक्ता वस्तुएं जैसे-खाद्य तेल और पूंजीगत वस्तुओं का अधिक आयात। त्वरित औद्योगिक उत्पादन और निर्यात के लिए आवश्यक कच्चा माल और मध्यवर्ती सामान का अधिक आयात होना है।

(घ) घरेलू उत्पादन और निर्यातों को बढ़ाने के लिए नीति और संवर्धनात्मक योजनाओं के जरिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आयात प्रतिस्थापन और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए देश में उत्पादित

सामानों के इस्तेमाल को सुकर बनाने हेतु "माने गए निर्यात" जैसे लाभ दिए गए हैं।

विभिन्न रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार स्नातक

192. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार, रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार स्नातकों के नाम दर्ज हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दर्ज किए बेरोजगारों की राज्यवार संख्या कितनी है और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम):

(क) 31.12.1993 की स्थितिनुसार देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर राज्यवार रोजगार चाहने वाले स्नातकों (स्नात्तकोत्तर सहित), यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजार हों, की (नवीनतम उपलब्ध) संख्या संलग्न विवरण-I में प्रस्तुत है **(नीचे देखिए)**।

(ख) वर्ष 1993-1994 एवं 1995 के दौरान देश के रोजगार कार्यलयों द्वारा सभी श्रेणियों के रोजगार चाहने वालों से संबंधित राज्यवार किए गए पंजीकरण एवं नियुक्यिों की संख्या संलग्न विवरण II में प्रस्तुत है।

विवरण I

31.12.1993 तक देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों स्नातकों (स्नात्तकोत्तर सहित) की संख्या

(हजार में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चालू रजिस्टर पर संख्या
राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	327.2
2. अरुणाचल प्रदेश	*
3. असम	92.4
4. बिहार	383.1
5. गोवा	12.3
6. गुजरात	70.5
7. हरियाणा	67.9
8. हिमाचल प्रदेश	45.6
9. जम्मू और कश्मीर	17.2
10. कर्नाटक	165.5
11. केरल	220.0
12. मध्य प्रदेश	245.9
13. महाराष्ट्र	269.2
14. मनीपुर	27.8
15. मेघालय	2.0
16. मिजोरम	2.3
17. नागालैण्ड	1.0
18. उड़ीसा	129.8
19. पंजाब	100.6
20. राजस्थान	150.7
21. सिक्किम*	
22. तमिल नाडु	445.5
23. त्रिपुरा	11.3
24. उत्तर प्रदेश	339.1
25. पश्चिम बंगाल	568.6
संघ शसित प्रदेश	
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1.8
27. चण्डीगढ़	24.3
28. दादर एवं नागर हवेली	0.2
29. दिल्ली	223.5
30. दमन और द्वीव	0.4
31. लक्ष्यद्वीप	0.1
32. पाण्डिचेरी	12.2
योग	**3958.3**

नोट: 1.* इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
2.†50 से कम के आंकड़े।
3. पूर्णांकों के कारण आंकड़ों को कुल योग में न जोड़ा जाए।